given after the directive of the hon. High Court of Allahabad. Madam, I feel the hon. Member will agree that it is not for laymen like us to plead for a system when we have appointed, not one expert committee, but two expert committees. We have gone into the directive of the hon. High Court also. After that the Health Secretary had given a reasoned order. Because of all this I would request the hon. Member not to press for this Bill. I appeal to him to withdraw this Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Mr. Jagannath Singh, are you withdrawing the Bill or shall I put the motion to vote?

श्री जगन्नाथ सिंह : मैडम, इस पैथी के माध्यम से प्राइवेट मेडिकल कालेज चल रहे हैं। पूर्व में इसमें सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था और आज के उत्तर में सरकार की ओर से कहा गया कि इसका जो प्रचार-प्रसार हो रहा है इसके बारे में देश की जनता को ठीक ढंग से मालूम नहीं है, लेकिन जब किसी भी आविष्कार का प्रचार-प्रसार ही नहीं किया जाएगा तो देश की जनता को कैसे मालूम हो सकता है। जब हम किसी बात को यहां पार्लियामेंट में बहस करके कानून की शक्ल देते हैं तो सरकारी मीडिया के माध्यम से जनता-जनार्दन तक वह बात पहुंचाने का प्रयास होता है कि यह आपके फायदे की चीज है और तभी देश के नागरिकों को इस बात की जानकारी हो जाती है। इसलिए सरकार से आग्रह करूंगा कि यदि इसमें कोई दोष है तो निश्चित रूप से उसको दूर करने के लिए उपाय सुझाए जाने चाहिएं। यहां तक प्रचार-प्रसार का सवाल है, इसमें सरकार यदि यह आश्वासन दे कि देश में पुनः जांच कमेटी बैठाई जाएगी और इसको गुण-दोषों के आधार पर सरकारी मान्यता देने के संबंध में विचार किया जाएगा, तो निश्चित रूप से मैं अपना यह बिल वापस लेने के लिए बात कर सकता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): क्या सरकार ऐसा आश्वासन देगी?

श्री प न कुमार घटोवर : मैडम, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि इस स्टेज में इस सिस्टम को गवर्नमेंट रिकोगनाइज नहीं कर सकती। जैसा माननीय सदस्य जगन्नाथ सिंह जी बोले कि ट्राइबल में अपना सिस्टम है, मडम, अपना अपना सिस्टम तो बहुत ही चल रहा है, लेकिन सरकारी तौर से रिकोगनाइज करना उसका अलग एक मायने रखता है। इसलिए मैं उनसे आग्रह करूंगा कि यह सिस्टम जब अपने आप पापुलराइज करेगा, जब लोग देखेंगे कि इससे हमें फायदा होता है, इस सिस्टम का जब गवर्नमेंट की साइंटिफिक जानकारी में यह प्रभाणित हो जाएगा तब सरकार इस विषय में जरूर सोचेगी।

उपसभाध्यक्ष : क्या आप इसे वापस लेते हैं ?

श्री जगन्नाथ सिंह: जी हां, मैडम।

उपसभाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि बिल वापस लिया जाए?

माननीय सदस्य : जी।

उपसभाध्यक्ष: बिल वापस हुआ।

(बिल वापस हुआ)

उपसभाध्यक्ष : अब हमारे सामने सूची में और भी विधयक हैं। सूची में नंबर 9, श्री एस. एस. अहुलवालिया। अनुपस्थित। नंबर दस, श्री सुरेश पचौरी :

आप इसको कंसीडर के लिए मूव करेंगे ?

THE SMALL FAMILY (INCENTIVES AND MOTIVATION) BILL, 1991.

श्री सुरेश पचौरी : (मध्य प्रदेश) : जी मैडम।

मडम, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

"देश में छोटा परिवार रखने के मानदंडों को बढ़ावा देने का तथा छोटे परिवारों को प्रोत्साहन प्रदान करने और लोगों को छोटा परिवार रखने के मानदंडों को अपनाने हेतु प्रेरित करने के उपाय उकरने तथा परिवार कल्याण उपायों को सांविधिक दर्जा प्रदान करने हेतु केन्द्रीय सरकार को शक्ति प्रदान करने तथा तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले निजी विधेयक-छोटा परिवार (प्रोत्साहन और अभिप्रेरण) विधेयक, 1991-पर विचार किया जाए।

[श्री सुरेश पचौरी]

मैडम, हमारे देश में जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। "सुरसा" के मुंह के समान यह जनसंख्या बढ़ रही है, जो हमारे देश की विभिन्न समस्याओं का मूल कारण बनी हुई है। भारत का भू-क्षेत्र विश्व के समस्त भू-क्षेत्र का 2.4 प्रतिशत है जबकि हमारे देश की जो आबादी है, वह आज भी विश्व की आबादी के 15 प्रतिशत से अधिक है। इस प्रकार आज भी हमारा देश विश्व में अत्यधिक घनी आबादी वाला देश माना जाता है और जिस रफ्तार से हमारे देश में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, यदि उस वृद्धि को और उसके आंकड़ों को देखा जाए तो मालूम पड़ता है कि इस शताब्दी के अंत तक ये आंकड़े 100 करोड़ को पार कर जाएंगे। इस प्रकार हमारा देश विश्व के अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश इस शताब्दी के अंत तक माना जाएगा। जिस रेश्यो से हमारे देश की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है यदि इस वृद्धि को रोका नहीं गया तो हमारे देश की गिनती, विश्व के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देशों में की जाएगी।

महोदया, यदि हम आंकड़ों पर गौर करें तो हमें मालूम होगा कि हमारे देश में जनसंख्या की रफ्तार कितनी तेज गति से बढ़ रही है। यदि हम अपने देश की पापुलेशन को देखें तो 1950-51 में 361.1 मिलियन हमारे देश की जनसंख्या थी जो 1970-71 में 548.2 मिलियन हुई। यह 1990-91 में बढ़कर 846 मिलियन हुई, 1991-92 में 862.5 मिलियन हुई और 1992-93 में यह 878.6 मिलियन हुई। हमारे देश में जो बर्थ-रेट है, अगर उस पर हम गौर करें तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि बर्थ-रेट में निरंतर कमी हो रही है। जिससे हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यद्यपि हमारी सरकार ने यह प्रयास किए हैं कि सीमित परिवार वाले लोग हमारे देश में रहें। लेकिन फिर भी जनसंख्या में जैसा कि मैंने आंकड़े दिए, जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है। 1950-51 में प्रति हजार जो बर्थ रेट थे वह 39.9 थे; वह 1989-90 में 30.2 रहे, 1990-91 में 29.5 रहे। यदि हम प्रति हजार मृत्यु दर देखें तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जो समय-समय पर विभिन्न पार्टियों की सरकारें रहीं, उन्होंने इस दिशा में गंभीर प्रयास किए और उनमें उन्हें आशातीत सफलता मिली जिसका परिणाम यह निकला कि हमारे देश की मृत्यु दर में कमी आई। यदि मैं मृत्यु दर के आंकड़ों को यहां बताऊं तो मृत्यु दर प्रति हजार जो 1950-51 में 27.4 थी वह घटकर 1988-89 में 10.3 प्रतिशत हो गई तथा और घटकर 1990-91 में वह 9.8 हो गई। महोदया, यदि लाईफ एक्सपैक्टेंसी देखें, तो प्रति वर्ष के हिसाब से उसमें भी काफी आशातीत सफलता पाई 1950-51 में यह 32.1 थी जो बढ़कर 1990-91 में 55.9 हुई और 1992-93 में 60.8 हुई। महोदय, यदि आंकड़ों पर गौर करें तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यद्यपि सरकार ने बर्थ रेट कम करने के लिए, डैथ रेट कम करने के लिए लाईफ एक्सपैक्टेंसी रेट बढ़ाने के लिए काफी प्रयास जिससे निश्चित रूप से हमें सफलता मिली है। लेकिन फिर भी हमने जनसंख्या की जो वृद्धि दर है उस पर हम किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगा पाए हैं जिसका परिणाम यह है कि हमारे देश में जनसंख्या की वृद्धि निरन्तर होती जा रही है और जनसंख्या में जब वृद्धि हो रही है तो यदि हम पोपुलेशन ग्रोथ रेट देखें तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव हमारे देश के विकास पर पड़ रहा है।

महोदया, हमारे देशवासियों के सामने अनेक समस्याएं हैं। उसकी जो जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वह रोजी रोटी, कपड़ा और मकान हैं। मैंने इस संबंध में इसी सदन में एक बिल भी प्रस्तुत किया था जिसमें मैंने यह आग्रह किया था कि हर देशवासी के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसे रोजी, रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया कराया जा सके। महोदया, जब हमारे देश में निरन्तर जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो उससे हमारे देश के विकास और प्रगति में निश्चित रूप से रोड़े अटकाए जा रहे हैं तथा इससे व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। साथ ही

आम आदमी को जिन न्यूनतम आवश्यकताओं —रोजी, रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत होती है वह आम देशवासियों को नहीं उपलब्ध हो पाती हैं, क्योंकि यदि एक परिवार को में सदस्यों की सीमित संख्या रहे, यदि जनसंख्या पर हमारे देश में नियंत्रण लगाया जा सके तो सरकार की तरफ से इस प्रकार के प्रयास किए जा सकते हैं कि वह यह सुनिश्चित करें कि इंसान की जो बसिक नैसिसिटीज हैं, वह उनको उपलब्ध कराई जा सकें और यदि उनको उपलब्ध हो जाएं निश्चित रूप से आम इंसान के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सकता है और जब आम आदमी का जीवन स्तर बेहतर होगा तो निश्चित रूप से हमारा देश खुशहाली की तरफ आगे बढ़ेगा।

महोदया, किसी भी परिवार में यदि जनसंख्या में वृद्धि होती जाती है तो परिवार की, उस समाज की और उस देश की जहां जनसंख्या में वृद्धि हो रही है निश्चित रूप से उसकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक स्थिति में प्रभाव पड़ता है और यही प्रभाव हमारे देश में भी पड़ रहा है। यद्यपि पिछले कई सालों में हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें काफी सुधार किया है। इस सुधार का परिणाम यह है कि जो हमारा रेट आफ इनफ्लेशन है, उसमें कमी आई है। मुद्रा-स्फीती की दर जो है, वह एक डिजिट में हुई है लेकिन यदि जनसंख्या नियंत्रित कर ली जाए तो इसका हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा और मुझे विश्वास है कि मुद्रा-स्फीती की दर में जो कमी हो रही है, उसमें और कमी आएगी और हमारा देश अर्थव्यवस्था के नजरिए से अब काफी आगे बढ़ेगा।

महोदया, मैं यह कह रहा था कि जब किसी भी परिवार में संख्या बढ़ती है तो उस परिवार पर अनावश्यक बोझ भी पड़ता है। यदि हम शिक्षा के मामले को लें तो एक परिवार में कई सदस्य होते हैं। जो सीमित साधन होते हैं एक परिवार के, जो सीमित आय होती है, उसको दृष्टिगत रखते हुए जिस प्रकार की हम शिक्षा अपने परिवार के बच्चों को दे सकते हैं और अन्य सुविधाएं दे सकते हैं, वह हम उसको सीमित साधनों की वजह से उपलब्ध नहीं कर सकते। इससे सरकार का जो सिस्टम है, उस पर भी फर्क पड़ता है। मिसाल के तौर पर अभी एक स्कूल है, उसमें एक क्लास है। उसमें बैठने की कैपेसिटी 50 की है लेकिन संख्या जब बढ़ जाती है, 70 हो जाती है तो जो कंसंट्रेशन विद्यार्थियों का होना चाहिए; क्योंकि उसका एक सीमित आकार है, एक निश्चित क्षेत्रफल वाले रूम में जब बहुत ज्यादा विद्यार्थी बैठ जाते हैं तो जिस तरीके से उनका कंसंट्रेशन होना चाहिए, वह कंसंट्रेशन नहीं हो पाता और साइकालाजिकल दृष्टि से भी एक शिक्षक 50 से जो अधिक स्टूडेंट्स होते हैं, उनको जब कोई लेक्चर देता है तो उनको वह उतना प्रभावित नहीं कर सकता है जितना कि उससे कम संख्या वालों को कर सकता है। विभिन्न समय पर जो इस प्रकार के रिसर्च हुए हैं, सर्वेक्षण हुए हैं, यह उसका परिणाम है। साथ ही जब एक परिवार में संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती है तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हम उन बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि जितना हमें एक बच्चे के पालन-पोषण पर समय लगाना चाहिए उतना समय उसको दे नहीं पाते हैं। साथ में उसकी फिजिकल ग्रोथ के लिए, उसके शारीरिक विकास के लिए, उसके मानसिक विकास के लिए जितना समय एक बच्चे को दिया जाना चाहिए, जितना समय परिवार के सदस्य को पेरेंट्स को देना चाहिए, वह जब एक परिवार में संख्या बहुत है जो उसको देना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए मैं जब यह कहता हूं कि सीमित परिवार न होने की वजह से एक परिवार में बहुत ज्यादा सदस्यों की संख्या होने की वजह से उस परिवार की शिक्षा पर, उस परिवार के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है तो यह कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है बल्कि यह एक वस्तुस्थिति है जिसे हमको स्वीकार करना चाहिए।

महोदया, हमारे देश में रोजगार की समस्या है। हमारे नौजवानों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि विभिन्न प्रकार की योजनाएं रोजगार

उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार ने प्रारंभ की हैं लेकिन चूंकि संख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है, साधन सीमित हैं, जितने पद हैं वे भी सीमित हैं, अन्य पदों का सृजन नहीं किया जा सकता, साथ ही आर्थिक स्रोत भी सीमित हैं। इन सारे सीमित साधनों को दृष्टिगत रखते हुए यदि हम उस अनुपात में देखें तो उस अनुपात के मुकाबले में जनसंख्या में ज्यादा वृद्धि हो रही है, उसका परिणाम यह निकल रहा है कि जिस रेशियो में पापुलेशन ग्रोथ हो रही है, उस रेशियो में नई सुविधाएं हम उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। उसका परिणाम यह निकल रहा है कि हमारे देश के नौजवानों को बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यदि हम सीमित परिवार के सूत्र को समझ पाएं, इस मूल मंत्र को अंगीकार कर पाएं तो निश्चित रुप से जो बेरोजगारी की समस्या का सामना हमारे देश के नौजवानों को करना पड़ रहा है, उससे उनको मुक्ति मिल सकेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

महोदया, हमारे देश की और भी कुछ व्यवस्थाएं हैं, जैसे यातायात की व्यवस्था है। मिसाल के तौर पर एक पगडंडी है, रोड है। यदि बहुत ज्यादा संख्या के लोग उस पर से गुजरेंगे तो निश्चित रुप से उस पर प्रभाव पड़ता है। यातायात पर भी इसका फर्क पड़ता है। जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी तो ज्यादा व्हेकिल्स लोग यूज करेंगे, बसों में जायेंगे। इससे निश्चित रूप से जो रोड का सिस्टम है उस पर प्रभाव पड़ता है। संचार साधन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं लेकिन इन संचार साधनों का जितना हमें लाभ मिलना चाहिए, बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से हम वह लाभ नहीं ले पाते। विकास की योजनायें यद्यपि हम प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन उसका जिस अनुपात में लाभ लोगों को पहुंचना चाहिए, उस अनुपात में लाभ, जनसंख्या की गति की वजह से नहीं पहुंच पाता है। इसलिए आज इस बात की आवश्यकता है कि हम न केवल इस बात पर विचार करें कि परिवार सीमित होने चाहिएं बल्कि हमको इस नतीजे पर पहुंचना चाहिए कि यदि सीमित परिवार होंगे तो इससे हमारे समाज का कल्याण तो होगा ही, हमारे परिवार का कल्याण तो होगा ही, हमारे परिवार में सुख-शांति, सद्भावना और सहिष्णुता का वातावरण होगा और इसके साथ ही हम देश के कल्याण में, देश के विकास में एक अहम् भूमिका अदा कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

महोदया, अगर हैल्थ के प्वाइंट आफ व्यू से भी देखा जाए तो कई रिसर्चों के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अधिक बच्चे होने के कारण जो जननी होती है, उसके शरीर पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। हर दृष्टि से बुरा प्रभाव पड़ता है। जब हम मेडिकल स्पेशलिस्ट की रिपोर्ट देखते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो जननी होती है, अगर उसके अगले बच्चे के जन्म में एक निश्चित गैप नहीं रहता है तो उससे निश्चित रूप से उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमको इस बारे में विचार करके हमें किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि घर में केवल दो ही बच्चे हों। साथ में, जो प्रसव कालीन स्थिति होती है, अगर अधिक बच्चे होते हैं तो उसमें कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, कई रोगों से वह आक्रांत हो जाती है। इससे वह प्रभावित न हो, इसके लिए आवश्यक है कि वह बार बार प्रसव से बचे। अगर हम इस मूल मंत्र को अंगीकार करते हैं तो इससे उस शरीर में शिथिलता नहीं आ पाएगी। इन सब बातों को इस नतीजे पर पहुंचते हैं जहां यह देश के विकास के लिए आवश्यक है, वहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से भी परिवार का सीमित रहना बहुत आवश्यक है।

महोदय, जो सीमित लोगों का परिवार रहता है उसमें शांति तो रहती ही है साथ ही कलह मुक्त भी होता है। और परिवार बड़ा होता है और उसके पास छोटा आवास है, घर में केवल दो या तीन कमरे हैं, ज्यादा मेंबर हो जाते हैं तो उनमें आपस में टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। वहां शांति का वातावरण नहीं रहता है। बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं व स्टेडी पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन परिवार में कलह का मूल कारण परिवार में ज्यादा सदस्यों का होना है। महोदया, यद्यपि सरकार ने इसके लिए बहुत सारे प्रयत्न किए हैं जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि की दर में काफी गिरावट आयी है। महोदया, आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए जो घोषित कार्य नीति है उसमें जनसंख्या नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और 1997 इसको घटाकर 26 प्रति हजार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह एक अच्छा संकल्प है। महोदया, वर्तमान सरकार ने एक संविधान संशोधन विधेयक जनसंख्या की वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए परिवारों को सीमित करने के लिए प्रस्तुत किया है। इस बिल के अनुसार अधिक बच्चे पैदा करने वाले नागरिक को चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाएगा। यह एक अच्छा कदम है। यद्यपि यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है लेकिन इसको अभी तक मूल रूप नहीं दिया गया है। इसलिए जब मैं इस संकल्प पर चर्चा कर रहा हूं तो मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि वह उस विधेयक में, जिसमें दो से अधिक बच्चे होने पर चुनाव की पात्रता नहीं होगी, चाहे वह स्वायत शासन समितियों के चुनाव हों, चाहे वह पंचायत समितियों के चुनाव हों, चाहे वह एम०एल०ए० के चुनाव हों और चाहे एम०पी० के चुनाव हों उन सब में यह अनिवार्य रूप से लागू करना चाहिये। ऐसा मेरा आपके माध्यम से आग्रह है। (व्यवधान)

श्री लक्खीराम अग्रवाल (मध्य प्रदेश) : जिसने शादी नहीं की है उसको तो निर्विरोध निर्वाचित होना चाहिये। उसने राष्ट्र को सहयोग दिया इसलिए उसके लिए तो निर्विरोध निर्वाचन की व्यवस्था होनी चाहिये।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा) : आप लिस्ट दे दीजिये।

श्री सुरेश पचौरी : अब यह रहस्य पता चल रहा है कि अटल जी और मथुर जी शादी क्यों नहीं कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : हम अमेंडमेंट मूव कर देंगे कि जिन्होंने शादी नहीं की उनको निर्विरोध निर्वाचित किया जाए। (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा) : आप लिस्ट के साथ अमेंडमेंट दीजियेगा।

श्री सुरेश पचौरी : महोदया, इस दिशा में राजस्थान की राज्य सरकार ने सराहनीय पहल की है। वहां पंचायत और नगरपालिका के चुनाव में ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी नहीं बनाया जाए, उन्होंने यह निर्णय लिया है, जो सराहनीय पहल है। मैं यह कह रहा था कि सरकार की तरफ से यद्यपि कदम उठाये गये लेकिन फिर भी यदि हम कुछ आंकड़ों को देखें तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो हमने लक्ष्य निर्धारित किये थे और जो उपलब्धियां होनी थी, वह कम हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 1991-92 में स्टरलाइजेशन का लक्ष्य था 5.43 मिलियन का लेकिन एचीवमेंट रहा 4.09 मिलियन अर्थात् जो लक्ष्य था उसके मुकाबले में जो जो उपलब्धि रही, वह कम रही। इसी प्रकार आई०यू०डी० का 5.96 का लक्ष्य था लेकिन उपलब्धि 4.38 की रही। साथ ही सी०सी० और ओ०पी० यूसर्ज की जहां तक बात है उसमें 18.8 का लक्ष्य था और जो उपलब्धि रही वह 17.39 रही। एम्युनाइजेशन प्रोग्राम को भी यदि हम लें तो जो लक्ष्य रखे गये थे, उनके मुकाबले में उपलब्धियां बहुत कम रहीं। 1992-93 जो टारगेट था स्टरलाइजेशन का, 5.28 मिलियन का था और एचीवमेंट 4.05 मिलियन का रहा। आई०यू०डी० का

[श्री सुरेश पचौरी]

टारगेट 1992.93 का 6.38 मिलियन था लेकिन जो उपलब्धि रही वह 4.54 रही। इसी प्रकार से सी०सी० और ओ० पी० यूसर्ज की बात है। 1992-93 का टारगेट 21.05 मिलियन का था लेकिन उसके मुकाबल में उपलब्धि 15.21 मिलियन रही। इम्युनाइजेशन प्रोग्राम में भी 1992-93 में टारगेट के मुकाबले में उपलब्धि कम रही। फेमली वेलफेयर प्रोग्राम की परफॉरमेंस को अगर हम देखें तो बहुत चौकाने वाली बात है। बल्कि यह निंदनीय बात है। इसलिए इसमें सुधार किये जाने की आवयश्यकता है, इस ओर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। जो फेमली वेलफेयर प्रोग्राम चल रहे हैं, जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, उन लक्ष्यों के मुकाबले में उपलब्धि कम रही। उस पर सरकार ध्यान दे। जनसंख्या में जो बढ़ोत्तरी है, वह हमारे देश की प्रमुख समस्या है, इस पर ध्यान दिये जाने की बहुत आवश्यकता है। अगर हम लोग स्टरलाइजेशन को भी देखें जो 1970-71 में 879 रहा वह 1991-92 में केवल 170 रहा। यद्यपि हमने सज़ा भुगती है क्यों कि जो 1977-78 और 1976-77 के वेस्कटॉमी के आंकड़े हैं वह 6199 हैं। हमने इस दिशा में कदम उठाया लेकिन हमारे कुछ राजनीतिक साथियों ने इस प्रकार का दुष्प्रचार किया कि जबरदस्ती वेस्कटॉमी के आप्रेशन हो रहे हैं। उसका परिणाम यह हुआ कि हम चुनाव हार गये और तरह तरह की अफवाहें फैलायी गई। आज जब हमारे देश में जनसंख्या की लगातार वृद्धि हो रही है तो निश्चित रूप से हमको इस नतीजे पर पहुंचना चाहिये कि हम राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठ कर इस देश की महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार करते हुए, इसको गम्भीरता से लेते हुए एकमत से हम इस नतीजे पर पहुंचे कि सीमित परिवार का होना किसी भी देश की प्रगति और विकास के लिए बहुत आवश्यक है।

किसी भी देश के बच्चे, किसी भी देश के शिशु, किसी भी देश के परिवारगण सुख और सहिष्णुता के वातावरण में शांतिपूर्ण ढंग से रह सके इसके लिए यह आवश्यक है कि सीमित परिवार की थ्योरी उन देशवासियों के लिए प्रारम्भ की जाए। इस बारे में विचार किया जाना आवश्यक है। जो इन नार्म्स का पालन नहीं करता है उनके खिलाफ निश्चित रूप से हमें कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए।

महोदया, यदि मैं अपने बिल की धारा 3 और 4 को उद्धृत करूं जो मैंने अपने बिल छोटा परिवार (प्रोत्साहन और अभिप्रेरण) विधेयक, 1991 में निहित की हैं तो धारा 4 की उपधारा (1) में मैंने इस बात का उल्लेख किया है कि केन्द्रीय सरकार के लिए यह आवश्यक होना चाहिए कि आर्थिक, शैक्षणिक, विधिक, चिकित्सीय एवं सामाजिक कदम वह देश में बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए उठाए ताकि देश के आर्थिक विकास में तेजी आ सके।

महोदया, धारा 4 की उपधारा 2 बात का उल्लेख किया है कि उन व्यक्तियों को धन और सामग्री प्रदान करने के रूप में प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जो दो से अधिक बच्चे पैदा करने के बाद परिवार नियोजन को अपनाते हैं। "ग" में भी मैंने इस बात का उल्लेख किया है कि संघ या राज्य कार्य से संबंधित सेवा या पदों में भर्ती और पदोन्नति के मामलों में जिन लोगों ने इस मानदण्ड को अपनाया है उनको वरीयता दी जानी चाहिए। जो धारा 4 की उपधारा 2 का "घ" पार्ट है उसमें मैंने इस बात का उल्लेख किया है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों और उनकी एजेंसियों जैसे कि बैंक, आवास बोर्ड आदि द्वारा आसान शर्तों पर ऋण उन लोगों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिन्होंने इस परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया है और सीमित परिवार की थ्योरी को जिन्होंने कुछ अपनाया है। साथ ही पूरे देश में केन्द्रीय और नवोदय विद्यालयों में जो शैक्षणिक सुविधाएं देने की बात की है—माननीय शिक्षा मंत्री महोदया यहां मौजूद हैं, तो उनको इस बारे में विचार करना चाहिए कि जो सीमित

परिवार की पद्धति में विश्वास रखते हैं पूरे देश में नवोदय विद्यालयों में एडमिशन देने के लिए, चिकित्सा और इंजीनियरिंग कालेजों में सुविधाएं देने के लिए, एडमिशन देने के लिए, छात्रवृत्ति देने के लिए वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उन परिवारजनों को वरीयता और प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो इस सीमित परिवार की श्रेणी में आते हैं। धारा 5 में भी महोदया मैंने कहा है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं जिनके दो से अधिक बच्चे हैं उनके सेवाकाल में किसी भी प्रकार से चाहे वे जो कारण बताएं, वृद्धि नहीं की जानी चाहिए और उनको वार्षिक वृद्धि और पदोन्नति की पात्रता नहीं होनी चाहिए। विधेयक में मैंने धारा 5 की उपधारा 1 में यह उल्लेख किया है। धारा 5 की उपधारा 2 के खंड 1 में भी मैं यह उल्लिखित किया हूँ कि यह उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिनके इस अधिनियम के आरम्भ होने की तारीख को निर्धारित संख्या से अधिक जीवित बच्चे होंगे। धारा 7 में भी मैंने अपने विधेयक में कहा है कि ऐसी महिलाओं को जिनके दो से अधिक जीवित बच्चे हैं, फिर एक और बच्चा होता है तो जो शासकीय सुविधाएं प्रसूति की दृष्टि से मिलती हैं उन सुविधाओं से उनको वंचित रखना चाहिए क्योंकि इससे निश्चित रूप से हमारे देश पर आर्थिक बोझ पड़ता है और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जो उनको फ्री, निःशुल्क प्रसूति लाभ मिलते हैं वे उनको उपलब्ध नहीं कराए जाने चाहिएं। साथ ही सरकारी और जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं उनके ऐसे कर्मचारियों को जो दो से अधिक बच्चे पैदा करते हैं उन पर भी यह कदम लागू होना चाहिए कि बंध्यीकरण आपरेशन वगैरह जिन्होंने नहीं कराया है उनको भी जो अग्रिम वेतन मिलता है और जो प्रोमोशन वगैरह है वह उनको न मिल पाए। यह उन पर भी महोदया लागू होना चाहिए। ऐसा मैंने अपने इस विधेयक में निवेदन किया है। महोदया, जो आज की परिस्थिति है, जिस समय कि हमारे देश में जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, अगर हमने उस पर अंकुश लगा दिया तो निश्चित रूप से हम अपनी मातृभूमि के लिए बहुत बड़ा उपकार करेंगे। इसके लिए जरूरी यह है कि हम पूरे देश में एक ऐसा जन-जागरण अभियान चलाएं, जिससे कि लोग अपने आप इस बात के लिए प्रेरित हो सकें कि सीमित परिवार का होना जिसमें कि सीमित बच्चे हों कितना आवश्यक है। सीमित परिवार सुख का आधार होता है। हम इस नतीजे पर पहुंच सकें इसके लिए हमें कुछ सहयोग की आवश्यकता है कुछ जो कमिटमेंट है, वह करने की आवश्यकता है और यह तब हो सकेगा जब इसके लिए जो पोलिटीकल लीडरशिप है विभिन्न पार्टियों के लोग हैं विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, वह जब जनता के बीच में जाएं, तो वह इस प्रकार का जन-जागरण निर्मित करें कि लोग इस बात के लिए तैयार हो सकें कि जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाया जाना, क्यों आवश्यक है। इसके लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न धर्मों के जो रिलिजियस लीडर्स हैं, उनकी भी हम लोग मदद लें। महोदया, होता क्या है कि हमारे पिछले समय का तजुर्बा है जब फैमिली प्लानिंग कार्यक्रम चला, तो कुछ लोगों ने इस बात को धार्मिक दृष्टि से लिया, कुछ रिलिजियस लीडर्स का सहारा लिया, किसी ने कहा कि हम इस धर्म के अनुयायी हैं और हमारा धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम बसैक्टमी कराएं। हमारा धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, उनको यदि वे लागू करेंगे, तो वह हमारे मजहब के खिलाफ होगा। इस मामले में निश्चित रूप से कटुता न बढ़े, हम एक सामंजस्य का वातावरण निर्मित करें, हम लोगों को मानसिक रूप से तैयार करें, इसके लिए आवश्यकता इस बात की है का हम रिलिजियस लीडर्स को इस बात के लिए तैयार करें, चाहे हिन्दू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, चाहे किसी और धर्म के मानने वाले हों, वे खुद इस बारे में आगे आएं और देश

[श्री सुरेश पचौरी]

की जनता से अपील करें कि देश की प्रगति और विकास की दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो कार्यक्रम सरकार अपना रही है, उसमे कोई भी मजहब के मानने वाले क्यों न हों, वे लोग आगे आयें। इस में जो प्राइवेट मैडिकल प्रैक्टीशनर्स हैं, उनका भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि होता क्या है कि जो बहुत ज्यादा परिवार वाले लोग हैं, जिनमें बच्चे होते हैं, दरअसल वह सलाह वगैरह के लिए जो पास का मैडिकल प्रैक्टीशनर होता है, उसके पास जाते हैं। उनके मन में यह फीलिंग रहती है, जिस परिवार में बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, जो शासकीय चिकित्सक हैं, वह तो उसे अन्य सुविधा मिले, वेतन में वृद्धि हो, इंसेटिव मिले, इसलिए वह इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि वसैक्टमी का आपरेशन करा दिए। अन्य जो कार्यक्रम हैं, फैमिली प्लानिंग के उनको आप लागू करिए। इसलिए उसको यह पर्सनल लाभ होगा, जब वह ऐसी सलाह देता है, तो उससे लोग कंविंस हो जाते हैं। इसके विपरीत जब वह प्राइवेट मैडिकल प्रैक्टीशनर के पास जाते हैं और जब वह ऐसी सलाह देता है कि ज्यादा बच्चे पैदा होने से जो जननी है, उसके स्वास्थ्य पर तो विपरीत प्रभाव पड़ता ही है, उसकी प्रजनन शक्ति से शारीरिक विकास तो रुकता ही है, लेकिन हर दृष्टि से परिवार पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमको कोई ऐसा कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग को हाथ में लेना चाहिए जिसके कि प्राइवेट मैडिकल प्रैक्टीशनर भी आगे आएं। और वे इस प्रकार के परिवारजनों को प्रेरित करें कि ज्यादा बच्चे पैदा करना, न तो परिवार के हित में है, न समाज के हित में है और न देश के हित में है।

महोदया हमारे देश में जो अलग अलग इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं, उन का भी समाज मे एक महत्वपूर्ण रोल हुआ करता है और जब ये इंडस्ट्रियल हाउसेस इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे, जैसाकि मैंने अभी कहा कि हमारी पब्लिक अंडरटेकिंग या गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, उन में काम करने वाले यदि दो से ज्यादा बच्चे पैदा करें तो उन में ऐसे लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए, इस बारे में इंडस्ट्रियल हाउसेस को भी विचार करना चाहिए। अभी क्या होता है कि जिनके दो से ज्यादा बच्चे पैदा हो जाएं, जब हम यह विधेयक पास करेंगे तो वे प्राइवेट इंडस्ट्रियल हाउसेस की तरफ बढ़ेंगे। वह सोचेंगे कि उन से मदद ले लें या प्राइवेट कंपनीज में रोजगार ले लें क्योंकि उनमें यह नियम लागू नहीं होगा। इसलिए जब हम इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं तो मैं यह मांग करता हूं कि इंडस्ट्रियल हाउसेस की भी हम को इस संबंध में मदद लेनी चाहिए। उनकी बमदद न केवल इस बात के लिए लेनी चाहिए कि वह लोगों को परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए प्रेरित करें बल्कि इस बात के लिए भी लेनी चाहिए कि उनकी जो यूनिट्स हैं, उनमें भी वह ऐसे लोगों को रोजगार उपलब्ध न कराएं जिन के घर में दो से ज्यादा बच्चे हों। साथ ही जो नानगवर्नमेंट आर्गनाइजेशंस या एन.जी.ओज. हैं, उन की भी हम को मदद की आवश्यकता होती है। महोदया, हमारे माननीय सदस्य दत्ता जी और डा. अरस जी यहां बैठे हैं जोकि उन जगहों पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि एन.जी.ओज. की मदद नार्थ ईस्ट में होना बहुत आवश्यक है। जब तक नान गवर्नमेंटल आर्गनाइजेशंस सामने नहीं आएंगे और वे लोगों को इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं करेंगे कि जनसंख्या वृद्धि देश के लिए घातक है, तब तक नार्थ-ईस्ट में, आदिवासी इलाकों में इसका ज्यादा असर नहीं हो पाएगा। अभी क्या होता है कि, जैसे कि मैंने कहा कि जिन लोगों के घरों में ज्यादा बच्चे होते हैं और जब शासकीय डाक्टर उन को कनविंस करने जाते हैं, तो उनको वहां आशातीत सफलता नहीं मिलती और न उनके कहे का प्रभाव पड़ता है, लेकिन जब वैसे ही एन०जी०ओज० के लोग पिछड़े क्षेत्रों में या अनुसूचित जाति के लोगों में

और हमारे निर्धन वर्ग के लोगों में जाते हैं और उन्हें इस बात के लिए समझते हैं कि एक घर में कम बच्चे होना हर दृष्टि से क्यों आवश्क है, तो उसका प्रभाव पड़ता है बजाय इस के कि शासकीय सेवक कहें। शासकीय सेवक कहे तो उसको लोग गवर्नमेंट डयूटी मानते हैं और यह मानकर चलते हैं कि उसे शासकीय लेबल पर कोई इनसेंटिव मिलेगा या लाभ मिलेगा, इसलिए, यह हमारे बीच में आकर यह कह रहा है, लेकिन जब एन.जी.ओज. जाते हैं, तो वह मानकर चलते हैं कि यह राष्ट्र की आवश्यकता है और राष्ट्र के सामने जो चुनौतियां हैं, राष्ट्र की महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, उनको निपटाने का एक मात्र तरीक यही है कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लाया जाए।

महोदया, इस से हटकर मैं कुछ महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि "मरिज एज" के बारे में हम लोगों को विचार करना चाहिए और वर्तमान में जो मेरिज एज वूमेन की है, उसमें मैं समझता हूं कि एक या दो साल की बढोत्तरी कर देनी चाहिए। दूसरे जो जसामूहिक विवाह प्रणाली है क्योंकि हम राजनीतिक पार्टीज से जुड़े हुए लोग है हम लोगों को अनुभव है कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम होते हैं विभिन्न जातियों के जैसे—गुजरों के कुड़मियों के लोधियों के साहुओं के और जैनियों के उनके बारे में सदन में पहले भी मामला उठाया गया है कि कम उम्र के बच्चे-बच्चियों की शादियां हो जाती हैं। हालांकि सरकार ने इस पर रोक के लिए कानून बना दिया है लेकिन जब सामूहिक विवाह होते हैं तो लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि जो महिला के विवाह की आयू है उसको अगर बढ़ा दिया जाए तो जनसंख्या नियंत्रण पर उसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा ऐसा मेरा विचार है।

महोदया परिवार नियोजना कार्यक्रमों से संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध करने के लिए निश्चचय रूप स्वास्थ्य विभाग को ज्यादा पहल करने की आवश्यकता है और इस के लिए उनको वूमेन की एक टीम तैयार करनी चाहिए जो महिलाओं के बीच में जाए कि परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाया जाना क्यों आवश्यक है?

महोदया, एक बात और कहना चाहता था कि बीमेंन के विभाग में यह बात नहीं आनी चाहियें कि किसी पर मैं ज्यादा बच्चें होते हैं, तो उस परिवार का स्टेटस होता है। कई लोग, चूंकि मैं खुद भी गांव से आया हूं, कई बार जब गांव में बात होती है, तो कुछ बड़ें गर्व के साथ कहतें हैं कि हूं, कई बार जब गांव में बात होती है, तो कुछ लोग गर्व के साथ कहतें हैं कि मेरे 10 बच्चे हैं, मेरे 15 बच्चे हैं, मेरे 8 अच्छें जवान लड़कें हैं। ऐसी गर्वोक्ति से महिलाओं को दूर रखा जाएए। इसलिए आवश्यकता इस बात की है पहलें वोमेंन एजुकेशन होना चाहिए, साइकलोजिकल दृष्टि से उनको इस बात के लिए प्रेरित करना चाहियें। इसके साथ ही परिवार के बुजुर्गों को भी ऐसी गर्वोक्ति से दूर रखना चाहिए।—****

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): सुरेश पचौरी जी, पांच बजे गए। यह बहस बाद में जारी रहेगी।

You are on your legs.

श्री सुरेश पचौरी: धन्यवाद, मैडम।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): अब जीरो आवर में कुछ मामले उठाए गये थे। उनमें एक मामला खासकर के "The Supreme Court judgment regarding the common civil code in the country"

इसमें मलकानी ने और कई मान सदस्यों ने इच्छा जाहिर की थी, कुछ बात करने की। अगर उस पर आप लोग बहस करना चाहतें हैं, तो ठीक है, नहीं तो स्पेशल मेंशन लेंगे।

एक माननीय सदस्य : मैडम, इसमें हम लोग कुछ कहना चाहते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा) : पहला नाम है श्री हेंच. हनुमनतप्पा।

DR. BIPLAB DASGUPTA: (West Bengal): Can I also make one or two points?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Mr. Nilotpal Basu's name is there. Mr. Hanumanthappa. not here. Shri Nilotpal Basu.

The Vice-Chairman (Shri Suresh Pachorui in the Chair)

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Madam, the matter which was raised by Malhotraji in the morning actually merits a full-fledged discussion. Basically it is not a matter which can be taken up and done justice within the Zero Hour. Anyway, since certain points have been made, and as pointed out, this is one issue where the discussion should be in such a manner that different parties can give their views, divergent points of view on the issue.

At the very outset, it was a very pleasant surprise for me that Mr. Malhotra has raised this issue and quoted profusely from the Constitution. At one point of time he was also on record saying that communities should not have such a situation where religious sentiments are militating against the Constitution. The Costitution is supreme and sovereign. Unfortunately, the major thrust of the argument when the question of Ayodhya was brought out was exactly this: That on Ayodhya, his party was not in a position to appreciate the legal process because it militated against the religious sentiments of the people. It was a surprise, a pleasant surprise at that point because we have always held an opinion that on such issues it is the Constitution and the judicial process which are to be taken into account and which should be made sovereign. Otherwise, the country cannot remain united. After having made that point, the second point that I would like to make is that the first part of the judgment, which is about the specific disposal of the cases, which were made by four women who were being subjected to the criminal act of bigomy, the religious conversion was taken recour e to. On that judgment, there is an agreement on all sides of the House. There is a perfect consensus across the political spectrum of the country. This is a historical judgement, but, at the same time, I was really impressed by certain points made by Syed Sibtey Razi in the morning. For example, there are changes taking place in different communities also. It is not fair on our part to attribute certain stereo-types to certain communities. I would like to refer to one of the women who was fighting this case, a Bengali woman by name Smt. Sushmita Ghosh. When she took up the case, she came to Delhi. She managed to meet the Moulvi who originally solemnised the marriage. When that maulavi later on found out that that man had converted only to avoid the earlier marriage, that same maulavi cancelled the erlier marriage saying that 'our law does not permit this hypocracy." So, within the communities also a change is taking place and since it is a sensitive issue, this is one aspect which we value mot, that this is an issue of social reform. We have seen

in the Hindu society also for bringing such social changes centuries have been taken. We come from a particular region of the country where people like Raja Rajmohan Roy had to face the wrath of the conservative elements of the society when they tried to bring about cerain progressive changes in the Hindu social norms. Therefore, while the judgement hints at securing the right of women that direction generally we are supporting of. But, the point is before that a ground has to be prepared, there has to be an all-round debate, particularly the communities which consider that through this their rights will be negated or violated and so on, I mean, witin those communities in particular, enough debate has to be coducted by the progressive and enlightened sections so that the ground is prepared for a progressive change in social norms and we can move towards a more integrated, a more united, a more holistic kind of society. So, that is the point. Never should we feel hat something is being enforced by somebody. So, that kind of an attitude should be taken. It is a very delicate issue It is very sensitive issue. It should not be made to appear that immediately it can be implemented. A certain amount of caution and sensitivity has tobe shown on this. Thank you.

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार) इस विषय पर शून्यकाल में काफी बहस हुई बहुत विस्तार से लोगों ने बात की। मैं सदन का समय ज्यादा नहीं लेना चाहती हूं केवल एक-दो बातें ही कहना चाहती हूं यह कहना कि किसी एक समुदाय विशेष के प्रति और उस पर आरोप लगाया जाए कि उनकी औरतों पर जुल्म होता है उनके साथ अन्याय होता है जिसके कारण कॉमन सिविल कोड होना चाहिए यह बात नहीं है। सच पूछिए तो इस देश के जितने समुदाय हैं चाहे हिन्दु हों चाहे मुसलमान हों चाहे क्रिश्चियन हों चाहे ईसाई हो हर समुदाय की महिलाओं के ऊपर घोर अत्याचार होता है। महिलाओं के बारे में अगर यह कहा जाए सभी जाति और सम्पप्रदाय की महिलाओं के लिए कि महिलाएं ही एक अलग जाति है और सबसे निकृष्ट जाति है समाज की तो यह कहना कोई अनचित नहीं होगा। सच पूछिए तो महिलाएं सैकिंड क्लास सिटीजन हैं जिस पर जो चाहे जुल्म कर लें तो यह बात सही है कि किसी भी देश में एक तरह का कानून हो तो अच्छा है यह कानून होने के लिए भी कुछ समय चाहिए और मानस चाहिए। लेकिन अपने मन के अन्दर दुराग्रह रखकर अगर हम कोई बात कहें तो वह भी उचित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के मानस पर मैं कोई लांछन नहीं लगाना चाहती और न ही मैं कुछ कहना चाहती हूं लेकिन यह बात भी सत्य है कि ज्यूडिश्यरी को कोई अधिकार नहीं है कि वह प्रधान मंत्री को या सदन के चुने हुए नेताओं को यह निर्देश दें कि आप क्या करें क्या न करें। सदन सर्वोपरि है और सदन फैसला करता है कि कैसे कानून बनाए जाए के कैसें न बनाए जाए। इस देश की संसद सर्वोपरि है इस देश की संसद को निर्णय लेना है कि सरकार क्या करेगी। मुझे इस बात का दुख है कि संसद के सर्वोपरि होते हुए भी संसद में महिलाओं की संख्या बहुत कम है और शायद इसीलिए हम यह बात शक्तिशाली रूप से नहीं रख पातें हैं कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार कम हों चाहे वह किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो। हिलाओं के प्रति अत्याचार अगर कम होना है तो जो कानून है, जो संविधान है अगर उसको सही मायने में लागू किया जाएगा, संविधान की अनेकों धाराए ऐसी हैं खास करके पहले ही है जिसमे यह कहा गया है

irrespective of caste, creed or sex.

एक रूप से एक दृष्टिकोण से देखा जाएगा यह भी नहीं होता है। तो भारतीय संविधान अगर सही मायनों में लागू किया जाए तब भी कुछ महिलाओं को राहत मिल सकती है और जब तक हम अपने मानस को तैयार नहीं कर पाएंगे तब तक बात बदलेगी नहीं, यह मेरी निजी मान्यता है। मैं इसी दृष्टिकोण से चाहे कामन सिविल कोड की बात हो चाहे किसी एक धर्म की उनकी जो शरियत हो या क्रिश्चियन लॉ हो, क्रिश्चियन लॉ में भी आए दिन क्रिश्चयन महिलाओं के ऊपर भी अत्याचार हो रहे हैं और वह भी कह रही है कि उनके यहां भी बदलाव आना चाहिए। मुस्लिम कम्युनिटी में भी या दूसरी मायनेरिटी कम्युनिटी में महिलाएं अपने अधिकार मांग रही हैं। तो जब धीरे-धीरे बदलाव आएगा, महिलाएं आगे आएंगी जागरूक होंगी तो अपने अधिकार को मांगेंगी। संसद को सेंसिटिव होकर उनके अधिकारों को दिलाने का काम करना होगा, न कि इस तरह से जबर्दस्ती इस कानून को थोपना या लागू करना होगा? मझे इतना ही कहना था।

श्री जलालुद्दीन अंसारी (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय सुप्रीम कोर्ट ने चार महिलाओं के प्रति द्वारा किए गए कार्य के बारे में जो मुकदमे हैं उन्होंने जो दूसरी शादी धर्म बदल कर कर ली उप पर जो जनजमेंट आया है, उसका कोई विरोध करने का सवाल उठता नहीं है। जजमेंट को ऐतिहासिक भी कहा जा सकता है। लेकिन यह कोई नई बात नहीं बोले है।

भारतीय संविधान के अन्दर एक अध्याय भी है जो मौलिक अधिकार से भिन्न है जिसको संविधान निर्माताओं ने कुछ खस से ही रखा होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो उसमें बहुत तरह की बातें दर्ज की गई हैं। लेकिन 26 जनवरी, 1950 में संविधान लागू हुआ, उसके बाद से हिन्दुस्तान में उन निर्देशक तत्वों के बारे में कितने बिन्दुओं पर विचार किया गया।

एक यूनिफार्म सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड बनाया जाए जिससे हमारे देश की महिलाएं चाहे वह हिन्दू सम्प्रदाय की हों, चाहें मुस्लिम सम्प्रदाय की हो, चाहें ईसाई सम्प्रदाय की हों, कोई भी सम्प्रदाय की हो, पूरे देश की हमारी महिलाएं आज उत्पीड़ित हैं। इसमें कहीं कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। सती प्रथा काफी पहले समाप्त हो गई थी। लेकिन राजस्थान की रुपकंवर के साथ जो व्यवहार किया गया, इस आजाद भारत में और किनकी क्या प्रतिक्रिया रही, सारा भारत जानता है और सभी राजनीतिक दल के लोग भी जानते हैं। मल्होत्रा जी ने कहा वोट और वोट बैंक के लिए कॉमन सिविल कोड नहीं बनाया जाता है। मैं उल्टे उनसे प्रश्न करता हूं कि आप यह जो सवाल उठाते हैं, वह वोट बैंक और वोट के लिए ही उठाते हैं, सच्चाई यह है। इसलिए 85 प्रतिशत आबादी को आप अपने पक्ष में करना चाहते हैं। 15 प्रतिशत को खुश करके कौन जीतेगा, दिल्ली की गद्दी पर कौन आएगा, लखनऊ की गद्दी पर, भोपाल की गद्दी पर, पटना की गद्दी पर कौन आएगा। 15 प्रतिशत वोट ले करके? इस सवाल को हमेशा राजनीति से मत जोड़िए। प्रश्न है

कि हमारा संविधान फेडरल इसीलिए बनाया गया है। युनिटरी नहीं बनाया गया है। हमारे पूरे संविधान की जो बनावट है और इस देश की जो बनावट है, वह फैडरल है, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा और मैं और मेरी पार्टी सिद्धांततः कॉमन सिविल कोड के खिलाफ नहीं है, लेकिन कॉमन सिविल कोड लाने के लिए कुछ प्रक्रिया अपनानी होगी। एक मेरा सुझाव है कि यह मामला संवेदनशील है, इसलिए राष्ट्रीय डिबेट तो चलाइए परसुएसिव ढंग से, हमलावर तरीके से नहीं ताकि दूसरी कम्युनिटी यह फील न करे, महसूस न करे कि हमारे ऊपर कोई कानून लाद करके हमारा जो अधिकार था, उस पर चोट की जा रही है। सहअस्तित्व में तो हम विश्वास रते हैं, जियो और जीने दो, में हम विश्वास करते हैं और जो बुराइयां हैं, उनको दूर करने के लिए हम प्रयास तो करेंगे ही लेकिन इसके लिए एक राष्ट्रीय डिबेट चला करके संजीदगी के साथ परसुएसिव तरीकें से एक आम सहमति, राष्ट्रीय सहमति बनाई जाए, इसमें समय लगेगा और उस आधार पर एक समय जब आ जाए, तो युनिफार्म सिविल कोड भी बनाया जा सकता है, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है, लेकिन हर चीज के पीछे राजनीति है, इसीलिए सारी समस्या का समाधान हो नहीं पाता है। कोई जजमेंट हुआ, इसके पहले भी कुछ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिए, उन जजमेंट्स का क्यों उन लोगों ने तोड़ा? उसका पालन कितने प्रतिशत हुआ? कल ही बहस चल रही थी, एस.सी./एस.टी. पर। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, बहुत सारे हाई-कोर्टों ने जजमेंट दे दिए हैं। उससे जो प्रश्न उठे है, उनको हल करने के लिए क्यों नहीं जोरदार तरीके से आवाज उठाई जाती? तो सवाल है कि उसका अगर राजनैतिक लाभ उठाने की बात आप करेंगे तो सही मायनों में महिलाओं के साथ आप न्याय नहीं कर सकते हैं। इसीलिए समय अभी नही है कि कॉमन सिविल कोड बनाया जाए, लेकिन इसके लिए मेरे दो सुझाव हैं कि दल और दलीय स्वार्थ से ऊपर उठ कर राष्ट्रीय हित में और महिलाओं का उत्पीड़न है, सभी समाजों में, कोई समाज नहीं कह सकता है कि नहीं हैं, मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। तो उससे अगर आप निजात दिलाना चाहिते हैं, मुक्ति दिलाना चाहते हैं, तो एक राष्ट्रीय बहस चलाइए संजीदगी के साथ, परसुएसिव तरीके से, हमलावर की हैसियत से नहीं और सबको इनवाल्व कीजिए ताकि एक सहमति बनाई जा सके और इस राष्ट्रीय समस्या का समाधान, महिलाओं का सवाल राष्ट्रीय सवाल है। आबादी की पचास प्रतिशत ये हैं, ये हमारा अभिन्न अंग हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता है। उनको सही मायनों में जस्टिस मिलना चाहिए। तो इस आधार पर एक डिबेट चला करके, एक सहमति बना करके और जबरदस्ती कोई कानून थोप करके अगर आप करना चाहेंगे, तो कोई काम न हुआ है, न होने वाला है। इसके लिए जनमानस को, जन-चेतना को हमें जगाना पड़ेगा, धैर्य के साथ, साहस के साथ और कुछ समय लगे तो समय लगाइए, लेकिन इस समस्या का सही निदान निकालिए, राजनीतिक लाभ को छोड़ करके, यही मेरा सुझाव है।

سمپردائے کی ہوں - چاہے عیسائی سمپردائے کی ہوں - کوئی بھی سمپردائے کی ہوں - پورے دیش کی بھلائی کی باتیں آج آپ کر رہے ہیں - اسمیں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتا ہے سمتی ہر تھا کافی پہلے سماپت ہو گئی تھی لیکن راجستھان کی روپ کنور کے ساتھ جو ویوہار کیا گیا اس آزاد بھارت میں اور کن کن کی کہانیاں کر رہا رہی - سارا بھارت جانتا ہے - اور سبھی راج نیتک دل کے لوگ بھی جانتے ہیں - ملہوترا جی نے کہا ووٹ اور ووٹ بینک کے لئے کامن سول کوڈ نہیں بنایا جاتا ہے - میں ان سے پرشن کرتا ہوں کہ آپ یہ جو سوال اٹھاتے ہیں وہ ووٹ بینک اور ووٹ کے لئے ہی اٹھاتے ہیں - سچائی یہ ہے - اسلئے ۸۵ پرتشت آبادی کو آپ اپنے پکش میں کرنا چاہتے ہیں - ۱۵ پرتشت کو خوش کر کے کون جیتیگا - دلی کی گدی پر کون آئیگا - لکھنؤ کی گدی پر کون آئیگا - پٹنہ کی گدی پر کون آئیگا - ۱۵ پرتشت ووٹ لیکر کے - سوال کو ہمیشہ راج نیتی سے مت جوڑیئے - پرشن یہ ہے کہ ہمارا سنودھان فیڈرل اسلئے بنایا گیا ہے یونیٹری نہیں بنایا گیا ہے

اشرف جلال الدین انصاری بہار : آپ سمجھدار ہو گئے ہیں - سپریم کورٹ نے چار مہیلاؤں کے بھی حوالے دئے گئے ہیں اور انہوں نے جو دوسری شادی کی ہے اس پر جو ججمنٹ آیا ہے اسکا کوئی ورودھ کرنے کا سوال اٹھتا نہیں ہے - ججمنٹ کو انتہا تک بھی کہا جا سکتا ہے - لیکن وہ کوئی نئی بات نہیں بولے ہیں -

بھارتیہ سنودھان کے اندر ایک ادھیائے ہی ہے جو مولک ادھیکار سے بھی ہے - جسکو سنودھان نرماتاؤں نے بچے ذاتی سمجھ سے ہی لکھا ہوگا - راجیہ کے نیتی نردیشک تتو" - ڈائریکٹو پرنسپل آف اسٹیٹ پالیسی تو اسمیں بہت طرح کی باتیں درج کی گئی ہیں - لیکن ۲۶ جنوری ۱۹۵۰ میں سنودھان لاگو ہوا - اسکے بعد سے سنودھان میں ان نردیشک تتوؤں کے بارے میں کتنے بندوں پر وچار کیا گیا تو صرف ایک یونیفارم سول کوڈ یا کامن سول کوڈ بنایا جانے جس سے ہمارے دیش کی میل ملاپ جا رہے وہ سنودھان سمپردائے کی ہوں - چاہے مسلم

ہمارے پورے سنسد دھان کی جو بناوٹ ہے
اور اس دیش کی جو بناوٹ ہے - وہ فیڈرل
ہے تو اسکو بھی ہمیں دھیان میں رکھنا پڑیگا
اور میں اور میری پارٹی سنسد دھانیہ کامن
سول کوڈ کے خلاف نہیں ہیں - لیکن
کامن سول کوڈ اپنے آپ کچھ پر کریہ اپنانی
ہوگی - آپ میرا سجھاؤ ہے کہ یہ سنسد میں
شامل ہے - اسلئے ڈائرکٹیو پرنسپل چلائے
پرسو تیسمیو طریقہ سے - حملہ آور طریقہ
سے نہیں تاکہ دوسری کمیونٹی یہ فیل نہ
کرے کہ ہمارے اوپر کوئی قانون لاد کر
ہمارا ابو ادھیکار تھا - اس پر چوٹ
کی جا رہی ہے - سب آ سنسد میں
تو ہم وشواس کرتے ہیں - جیو اور جینے
دو میں ہم وشواس کرتے ہیں - اور جو
برائیاں ہیں [illegible] کیلئے ہم
پریاس تو کرینگے ہی لیکن اسکے لئے ایک
ڈائرکٹیو چلا کر سنسد کی
کے ساتھ پرسو تیسمیو طریقہ سے ایک
عام سہمتی - ڈائرکٹیو سہمتی بنانی
چاہئے - اسمیں سمے لگے گا اور اس
آدھار پر ایک سمے جب آجائیگا -
تو یونیفارم سول کوڈ بھی بنایا جا سکتا
ہے - اسمیں کوئی دوسرا نہیں ہے لیکن ہر ایک
چیز کے پیچھے راج نیتی ہے - اسی لئے

ساری سمسیا کا سمادھان ہو نہیں
پاتا ہے - کوئی ججمنٹ ہوا - اسکے پہلے بھی
کچھ ججمنٹ سپریم کورٹ نے دیئے - ان
ججمنٹس کو کیوں ان لوگوں نے توڑا -
اسکا پالن کرنے پر تیشنت ہوا - کل ہی
بحث چل رہی تھی ایوان میں - ایمرجنسی
پر - تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ -
بہت سارے ہائی کورٹوں نے ججمنٹ دیئے
ہیں - اس سے جو پرشن اٹھے ہیں - انکو حل
کرنے کے لئے کیوں نہیں زور دار طریقہ
سے آواز اٹھائی جاتی ہے - تو سوال
ہے کہ اسکا اگر راج نیتک لابھ اٹھانے
کی بات آپ کرینگے تو صحیح معنوں
میں مہیلاؤں کے ساتھ آپ نیائے
نہیں کر سکتے ہیں - اسلئے یہ بھی
نہیں ہے - کہ کامن سول کوڈ بنایا جائے
لیکن اسکے لئے میرے دو سجھاؤ ہیں
کہ دل اور دیئے سوار تھے اور پر
اٹھکر ڈائرکٹیو پرنسپل میں اور مہیلاؤں
کا اتپیڑن بھی ہے سبھی سماجوں میں
کوئی سماج نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہیں
ہیں - میں اسکو ملنے کے لئے تیار نہیں
ہوں - تو اس سے اگر آپ نیات دلانا
چاہتے ہیں - ملکی دلانا چاہتے ہیں تو ایک
ڈائرکٹیو بحث چلائے سنسد کے ساتھ

پر صحیح طریقے سے عمل آوری کی حیثیت
سے نہیں اور مجھے اندازہ ہے کہ یہ تاکہ
ایک سمجھوتہ بنایا جائے اور اس پر اس
مسئلہ کا سمادھان - مہاراشٹر کا مسئلہ
اور مدھیہ پردیش کا ہے - آبادی کے پچاس
فیصدی یہ ہیں - یہ ہمارا ایجنڈا الگ
ہیں - انکو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے -
انکو ہی صحیح معنوں میں جگہ ملنا
چاہیئے - تو اس آدھار پر ایک ڈیٹ
چالو کر کے - ایک سمجھوتہ بنا کر کے اور
زبردستی کوئی قانون نافذ کر کے اگر
اسے کرنا چاہیں گے - تو کوئی کام نہ ہوگا
اور نہ ہونے والا ہے - اس کے لئے جن
مانس کو - جن چیتنا کو ہمیں جگانا
پڑیگا دھیرے کے ساتھ - ساہس
کے ساتھ اور کچھ سمے لگے تو سمے لگایئے
لیکن اس مسئلہ کا صحیح نوان نکالیئے
راج نیتک لابھ کو چھوڑ کر کے - یہی
میرا سجھاؤ ہے E

SARDAR SAROVAR DAM

SHRI CHIMANBHAI MEHTA (Gujarat): Sir, I am raising this Special Mention on the Sardar Sarovar Dam because its construction is almost at a standstill and the water of the Narmada that was to reach Gujarat by this June, has been thwarted because its height has been kept at 80 metres, while it should have been 110 metres at this juncture. I am not raising a technical point. With 110 metres of height, the water can flow in the arid lands of Gujarat, and crops on hundreds of acres of land can be harvested. This is a national loss.

Why has this happened? Because some obstacles to raising the height have been raised, and the matter is pending before the Supreme Court. The Supreme Court is not questioning the issue of the height. It is talking about resettlement of the oustees. As far as Gujarat and Maharashtra are concerned, the oustees have been settled.

We have provided land for the Maharashtra oustees and also to some of the Madhya Pradesh oustees. We have given double of what they have lost in Madhya Pradesh and Maharashtra. We have given double of the submerged land. We have given land in Gujarat, even to the landless labour from Madhya Pradesh, who had no land. Moreover, a cash subsidy has also been given. There are reports from environmental studies that they have been better compensated, and they are getting access to education. Had the dam height been raised to 110 metres, only 1,000 families would have been affected... (*Interruptions*) The height remains at 80 metres. Now, Gujarat has offered land to those 1,000 families. Although it is the job of the Madhya Pradesh Government, we are prepared to offer land to them. The Madhya Pradesh Government is now resettling the oustees. I do not know the purpose. They are out to reduce the height of the dam for reasons best known to them. We have offered land to the 1,000 families. Yet, they are not being moved to those places.

Sir, some exaggerated picture of the oustees is being given because actually 40,000 families are going to be affected, but don,t think that all of them are going to be thrown out from their farms and houses. Some have been partially affected, losing half a hectars or one-fourth of a hectare, but, certainly, they have been affected. Some are affected during monsoon. They can be shifted to a higher plateau. They can again go back to that land and cultivate it. So, this number that they are giving is not correct. Therefore, I would like to say that the Madhya Pradesh Go-